इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 443] भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2020—कार्तिक 20, शक 1942

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्र. एफ-19-5-2015-बारह-1-पार्ट-1.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 ख की उपधारा (1), (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 7 में उप-नियम (2) में, खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(छ) कार्यपालिका समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान के लिए किए जाने वाले कार्य की वार्षिक योजना तैयार करेगी. मण्डल से अनुमोदन के पश्चात् यह वार्षिक योजना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व मार्च के प्रथम सप्ताह के भीतर अनुमोदन हेतु राज्य शासन को प्रेषित की जाएगी. राज्य शासन के अनुमोदन के पश्चात् जिला खनिज प्रतिष्ठान के अंतर्गत तद्नुसार कार्य किया जाएगा. वार्षिक योजना में आकस्मिक संशोधन कार्यपालिका समिति, मंडल के अध्यक्ष के अनुमोदन से, कर सकेगी :

परन्तु संशोधन के पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा.".

2. नियम 8 में, खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(च) गौण खनिज के पट्टाधारी/नीलाम खदान धारक द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 एवं मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम, 2019 में विहित की गई दर के अनुसार किया गया भुगतान.".

3. नियम 13 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ङ) समस्त जिला खनिज प्रतिष्ठान राज्य खनिज निधि में नीचे वर्णित रीति में अपने वार्षिक **प्रोद्भवनों** की प्रतिशतता, किसी जिले के खनिज प्रभावित क्षेत्रों में विकास से संबंधित कार्य या ऐसे कार्य जिनमें एक से अधिक जिले अंतर्ग्रस्त हों, करने के लिए अंतरित करेंगे.".

क्रमांक	वार्षिक प्रोद्भवन	राज्य खनिज निधि में अंतरण योग्य रकम की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)
1	0-5 करोड़ तक	0 प्रतिशत
2	5 करोड़ से 25 करोड़ तक	50 प्रतिशत
3	25 करोड़ से अधिक	75 प्रतिशत

टीप.—01 अप्रैल 2020 की स्थिति में, वित्तीय वर्ष 2019-20 या उससे पूर्व की स्वीकृत रकम को छोड़कर शेष रकम राज्य निधि के अंतरण के मापदण्ड अनुसार राज्य निधि को अंतरित की जाएगी.

उदाहरण.—यदि किसी जिला खनिज प्रतिष्ठान को किसी वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्तियां 200 करोड़ रुपये है, तब उनके द्वारा राज्य खनिज निधि को निम्नलिखित रकम अंतरित की जाएगी,—

क्रमांक	अंतरण योग्य रकम की सीमा	देय राशि
(1)	(2)	(3)
1	0-5 करोड़ तक	निरंक
2	5 करोड़ से 25 करोड़ तक	10 करोड़
3	25 करोड़ से अधिक	131.25 करोड़
	कुल देय रकम . .	141.25 करोड़.".

4. नियम 14 में, उप-नियम (ख) में, खण्ड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(3) नियम 14 (ख) के अधीन गठित समिति, राज्य के संबंधित विभाग से या किसी विशिष्ट जिला खनिज प्रतिष्ठान या जिला खनिज प्रतिष्ठानों के किसी समूह से आरंभ किए जाने वाले नियम 13 में यथावर्णित विकास प्रस्तावों पर विचार करेगी तथा उसकी अनुशंसा करेगी. ऐसे प्रस्तावों को नीचे गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. यह समिति विकास कार्यों के अंतिम चयन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेगी.

(एक)	मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन	—	अध्यक्ष
(दो)	मंत्री, वित्त विभाग	—	सदस्य
(तीन)	मंत्री, खनिज साधन विभाग	—	सदस्य
(चार)	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	—	सदस्य
(पांच)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य-सचिव.".

5. नियम 14 में, उपनियम (ख) में, खण्ड (7) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(8) स्वीकृत एवं व्यय की गई रकम से संबंधित जानकारी एवं निधि से कार्यों की जानकारी विकास कार्य करने वाले संबंधित विभागों द्वारा खनिज साधन विभाग के साथ-साथ वित्त विभाग को माहवार उपलब्ध कराई जायेगी.".

No. F. 19-5-2015-XII-I-Part-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (2) and (3) of Section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rules, 2016, namely:—

AMENDMENTS

In said rules,—

1. In rule 7, in sub-rule (2), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

"(g) Executive Committee shall prepare an annual plan for every financial year, for the work to be carried out for District Mineral Foundation. After approval from the Board this annual plan shall be sent for approval from State Government within first week of March before the end of financial year. After the approval of State Government, work under the District Mineral Foundation shall be carried out accordingly. The executive committee may amend the annual paln in emergent circumstances by the approval of the Chairman of the Board:

Provided that prior to amendment the approval of the State Government shall be obtained.".

2. In rule 8, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

"(f) Payment made by the lease holder/auction quarry holder according to the rate prescribed in Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 and Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rules, 2019.".

3. In rule 13, in sub-rule (2) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

"(e) All District Mineral Foundation shall transfer the percentage of their annual accruals to the state mineral fund in mannner mentioned below to carry out the works related to development, in mining affected areas of any district or the works which involve more than one district:—

Sr. No. (1)	Annual accruals (2)	Percentage of transferable amount to state mineral fund (3)
1	Up to 0-5 Crore	0 Percentage
2	From 5 Crore to 25 Crore	50 Percentage
3	More than 25 Crore	75 Percentage

Note.—As on 01st April, 2020, excluding the sanctioned amount of financial year 2019-20 or prior to this, remaining amount shall be treanferred to the State Fund according to the parameter of transfer of State Fund.

Example.—If the total receipts of any District Mineral Foundation is Rs. 200 Crore in any financial year, than following amount shall be transferred by them to the State Mineral Fund.

Sr. No. (1)	Extent of transferrable amount (2)	Payable amount (3)
1	Up to 0-5 Crore	Nil
2	From 5 Crore to 25 Crore	10 Crore
3	More than 25 Crore	131.25 Crore
	Total Payable Amount . .	141.25 Crore.".

4. In rule 14, in sub-rule (b) for clause (3), the following clause shall be substituted, namely:—

"(3) The Committee constituted in Rule 14(b) shall consider and recommend the development proposals as mentioned in rule 13 initiated from the concern department of the State or from a particular District Mineral Foundation or a group of District Mineral Foundations. Such proposals shall be submitted before the committee constituted below. This committee shall do the work of final selection and supervision of development works.

(i)	Chief Minister, Government of Madhya Pradesh	..	Chairman
(ii)	Minister, Finance Department	..	Member
(iii)	Minister, Mineral Resources Department	..	Member
(iv)	Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh	..	Member
(v)	Principal Secretary, Finance Department	..	Member-Secretary.".

5. In rule 14, in sub-rule (b) after clause (7), the following clause shall be inserted, namely:—

"(8) The information pertaining to the amount sanctioned and expended and information of the work from the fund shall be made available month wise to the Finance Department along with Minerals Resources Department by the concerned departments carrying the development work.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.